न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

<u>ब इजलास श्री जगनलाल मीणा **R.A.S.**</u>

मुकदमा नं0 290/06

[illegible] पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम विरार तहसील कामां जिला भरतपुर प्रान्त राजस्थान

वादीगण

<u>बनाम</u>

1–महाराज पुत्र ज्वालादास जाति जाट
2–सादीक पुत्र सुबराती
3–शब्बीर पुत्र सुबराती
4–मुबीन पुत्र सुबराती
5–बन्टोली पुत्र टैन
6–जुम्मा पुत्र चादमल (मृतक)
1/6 मुन्नी बेवा जुहर खां–
2/6 अकबर पुत्र जुहर खां
3/6 मेहरूमा
4/6 अलिया
5/6 उनीसा
6/6 मनीसा
7/6 अकबरी
7– सलीखां पुत्र चांदमल
8– सादी पुत्र चांदमल
9– श्रीमति नूरजहां पत्नि गोर्वधन जाति मेव निवासी ग्राम विरार
10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामां
11– जरीना पत्नि इसराइल
12– रफीकन पत्नि हाकम जाति मेव निवासी ग्राम विरार तहसील कामां
– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53– 188, राज0 काश्त कारी अधिनियम

<u>निर्णय</u>

दिनांक 20.9.2017

वादी अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53–188 राज0काश्त कारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया आराजी खसरा नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम विरार तहसील कामां में स्थित है । वादी के 1/2 हिस्सें प्रतिवादी नं0 1 के 1/8 हिस्से, प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 के 1/12 प्रतिवादी नं0 5 के 1/12 हिस्से व प्रतिवादी नं0 6, 7,8 के 1/12 हिस्से व प्रतिवादी नं.0 9 के 1/8 हिस्से की सम्मिलित कब्जे काश्त व

खातेदारी की आराजी है । जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड सम्मिलित रूपसे काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने आराजी मुतदाविया में से 1/2 हिस्सा को पूर्व के खातेदारान से खरीद किया था उनका कब्जा आराजी मुतदाविया पर मन्दिर आर्य समाज के सहारे था और वादी उसी स्थान पर कब्जा प्राप्त किया था । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब आराजी मुतदाविया को सम्मिलित रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा । वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी मुतदाविया को मुताबिक मौका कब्जा व हिस्सा राजस्व रिकार्ड विभाजन करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे फिर प्रतिवादीगण ने दिनांक 28.10. 2006 को [illegible] विभाजन करने से साफ इंकार कर दिया । विदि बजह वादी आराजी मुतदाविया का जरिये अदालत मुताबिक मौका व कब्जा व हिस्सा राजस्व रिकार्ड विभाजन करा कर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाता कायम कराकर पृथक पृथक राज लगान निर्धारित करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण आराजी मुतदाविया से कोई सम्बन्ध [illegible] ना तो कभी रहा है तथा ना ही इस वक्त है किन्तु प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया को बिना विभाजन कराये रहन बय मुन्तकिल करना चाहते है। राजस्व रिकार्ड [illegible] की स्थिति में परिवर्तन करने की फिराक में है जिसकी बावत प्रतिवादीगण के [illegible] को [illegible] धमकी दी है । यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में [illegible] हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरे नकद या अन्य [illegible] से ना हो सकेगी । विदि बजह हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है । आराजी खसरा नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम विरार तहसील कामां को [illegible] मुताबिक मौका व कब्जा व हिस्सा राजस्व रिकार्ड विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाता कायम करा कर पृथक पृथक राज लगान निर्धारित करा पाने के अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण 1लगा0 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अनुपस्थिति दर्ज की जाती है । प्रतिवादीगण नं0 11 व 12 जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम विरार तहसील कामां सह खातेदार की आराजी है कि वादी का मुताबिक आपसी बटवारा व तरफ दक्षिण, पूरब की तरफ सरफू का खेत, पश्चिम की तरफ [illegible] जाटव का मकान के सहारे व डौल से मिलते हुए व तरफ उत्तर गुरूद्वारा या मन्दिर आर्य समाज कुआ सरकारी प्रतिवादी नं0 11 व 12 का कब्जा है मौके पर भी इसी प्रकार काबिज है वादी ने गलत दर्ज किया है सबूत में नकल फोटो प्रति बयनामा पेश की है । वादी ने कभी भी विभाजन के लिए नहीं कहा और प्रतिवादीगण ने न ही इन्कार किया वादी ने दावे में रंगल लाने के लिए यह कथन दर्ज किया है । आराजी मुतदाविया प्रतिवादीगण 11 व 12 ने प्रतिवादी नं0 1 का सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 जरिये पजीकृत बयनामा दिनांक 7.10.2006को उचित प्रतिफल देकर क्रय किया है एवं वक्त बयनामा में तहरीर कराकर खाली शुदा आराजी का मौके पर कब्जा केता यानि प्रतिवादीगण नं0 11 व 12 को दे दिया जिस पर तभी से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं उसके वाद उसी हिस्से पर प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की आराजी पर एक झोंपडी बना रखी है तथा चार दीवारी बनाने के लिए सतह तक नीम भर दी और चारो तरफ पत्थर डलवा दिये बजरी डलवा दी अब प्रतिवादीगण उसमें रिहायसी कर रहने लगी है भैस बधती है, लडामनी बनी हुई है, खाद कूडा पडा हुआ है तथा उपले थपे हुए हैं कृषि सामान रखा हुआ है । लकडी रखी हुई है । बिटौरा लगा रखा है इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर शन्ति पूर्वक काबिज है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 7.10.2006 को बयनामा अपने हक में तस्दीक कराने की जानकारी वादी को बखूबी है इसलिए उसने उससे रूष्ट होकर दिनांक 31.10. 2006 को यह दावा अदालत श्रीमान में पेश किया । ताकि प्रतिवादीगण का दाखिल खारिज उनके हक में तस्दीक न हो पावे । इस आश्य की अदालत श्रीमान से अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में वादी प्रतिवादी नं0 11 विधवा औरत को तंग व परेशान करता चला आ रहा है । साथ उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की भी धमकी देता है साथ ही वादी कहता है कि मेरे कहे अनुसार राजीनामा कर ले । इस प्रकार वादी का दावा काबिले खारिजी है । यदि अदालत श्रीमान जी आराजी मुत0 का विभाजन करती है तो मौके पर जिस स्थान पर पक्षकारान का कब्जा है उसी कदर विभाजन मुताबिक हिस्सा कर दिया जावे ।

दावा व जबाव दावा के अनुसार निम्न प्रकार तन्की तैयार की गई जो निम्न प्रकार से है :–

1– आया वादी आ0ख0नं0 816 रकवा 0.38 एयर वाके ग्राम विरार तहसील कामां का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड मौका व कब्जा विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाता व राज लगान निर्धारित करा पाने का अधिकारी है ।

2– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

3– आया इन प्रतिवादीगण ने वादी से आराजी मुत0 का विभाजन करने से कभी इन्कार नहीं किया ।

[illegible] की उपस्थिति में तथा आपसी सहमति से विवादित आराजी खसरा नम्बर [illegible] तहसील कामां में अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के [illegible] । तहसीलदार कामां को [illegible] नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम विरार में [illegible] आदेश दिये गये । तहसील [illegible] एतराज कर कहा [illegible] । उनकी उपस्थिति कुर्रे बनाये जावे । [illegible] को लिखा गया । दिनांक 17.11.2016 को पुन कुर्रे [illegible] ने पुनः ऐतराज किया । पुनः कुर्रे तैयार करने [illegible] । दिनांक 23.3.2017 को तहसीलदार कामां द्वारा स्वंय मौके पर [illegible] तैयार किये हैं । जो निम्न प्रकार से है :–

[illegible] नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम विरार में से

1– [illegible] विरार राहिन अलवर भरतपुर आंचलिक [illegible] खसरा नम्बर 816 रकवा 0.19 लगान 2.06

2– [illegible] जाट साकिन देह खातेदार [illegible] 1654/816 रकवा 0.05 लगान 0.54

3– [illegible] कौम मेव साकिन देह खातेदार [illegible] 1655/816 रकवा 0.05 लगान 0.54

4– [illegible] कौम मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/12 सद्दीक शब्बीर,मुबीन पि0 [illegible] बहिस्सा 1/12 हि0 जुहरखां, रतीखां शादी पिसरान चांदमल बहिस्सा बराबर [illegible] कौम मेव सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 1656/816 रकवा 0.09 लगान 0. [illegible]

नोट– जुहरखां पुत्र चांदमल फौत हो चुका है । जिसके वारिसान निम्न प्रकार से है । [illegible], अकबर पिसरान जुहरखां अकबरी, मेहरूमा, आलिया उनीसा मनीसा पुत्रीयान [illegible] कौम मेव साकिन देह खातेदार रत्तीखां पुत्र चांदमल फौत हो चुका है । जिसके [illegible] इस प्रकार से है फजरू, शाबिर, मुब्बा पि0 रत्तीखां रहीशा , सिन्ना फिर्दा, रस्सो [illegible] रतीखां कौम मेव सा0 देह खातेदार श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर व इस न्यायालय [illegible] के कारण फौत खातेदार की विरासत का दाखिला खारिज नहीं हो सका नजरी [illegible] किया है । जिसमें उत्तर दिशा में आ0ख0नं0 816 रकवा 0.19 हरिराम पुत्र [illegible] कौम जाटव सा0 विरार राहिन अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कामां मु0 नं0 2 भरतराम पुत्र ज्वालादास कौम जाट साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 1654/816 रकवा 0.05 लगान 0.54 नं0 3 नूरजहां पत्नि गोरधन कौम मेव साकिन देह खातेदार 1655/816 रकवा 0.05 लगान 0.54 को दिया गया है । कुर्रे अनुसार मृतक रत्तीखां के वारिसान को तलब किया गया । बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये जिसमें मुबारिक पुत्र रतीखां उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार कामां कब्जे के आधार पर ही बनाये गये है । हमें कोई ऐतराज नहीं है । पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

1– आया वादी आ0ख0नं0 816 रकवा 0.38 एयर वाके ग्राम विरार तहसील कामां का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड मौका व कब्जा विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाता व राज लगान निर्धारित करा पाने का अधिकारी है ।

वादी प्रतिवादी आ0ख0नं0 816 रकवा 0.38 एयर वाके ग्राम विरार तहसील कामां पर बहिस्सा खातेदार है । जिसमें वादी का हिस्सा 0.19 हैक्टर एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा 0.19 हैक्ट0 है प्रतिवादी नं0भरतराम के स्थान प्रतिवादी नं. 11 व 12 बयनामा से

[illegible] है जिनकी कब्जा उत्तर दिशा में होना प्रतिवादी गण ने अपनी बहस में अवगत [illegible] जबकि कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार कामां दिनांक 21.3.2017 के द्वारा वादी का कब्जा [illegible] बताया है । प्रतिवादी का कब्जा उसके बाद बताया है । उसके बाद शेष प्रतिवादी [illegible] कब्जा अनुसार हिस्सा दिया गया है । तनकी वादी के पक्ष में पारित की जाती है।

2- [illegible] वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिकी हु[illegible]म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

[illegible] विभाजन किया जाने पर कुर्रे अनुसार हिस्सा अनुसार डिकी करा पाने का अधिकारी है । तनकी वादी के पक्ष में पारित की जाती है ।

3- [illegible] ने वादी से आराजी मुत0 का विभाजन करने से कभी इन्कार नहीं किया ।

[illegible] के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए है । तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित की जाती है ।

प्रतिवादी नं0 11 व 12 अधिवक्ता के कुर्रे रिपोर्ट पर बहस की कि कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार कामां द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर बनायी है मौके पर पहुंच नहीं बनायी है । जो कब्जा अनुसार नही है जबकि प्रतिवादी नं0 11 ने बयानामा कब्जा [illegible] है जिसकी जानकारी वादी को [illegible] उसी स्थान पर हमारा कब्जा है । वादी का कुर्रे में बताये स्थान पर कोई कब्जा नहीं है तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट निराधार [illegible] स्थान पर ही बैठकर बनायी है । आप स्वय मौके पर पहंच कर कुर्रे की जांच [illegible] किया जावे । वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवगत कराया कि [illegible] करना चाहते है । प्रतिवादी अधिवक्ता के कहे [illegible] जा चुके है। तथा वादी का कब्जा कुर्रे अनुसार ही है जो [illegible] है ।

[illegible] का अवलोकन किया गया तथा दस्तावेज व कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी अधिवक्ता के एतराज का भी अवलोकन किया तथा [illegible] का भी अवलोकन किया गया । प्रतिवादी अधिवक्ता के एतराज पर कुर्रे रिपोर्ट [illegible] की । जिसमें कब्जा वादी का उ[illegible]र दिशा में दर्शाया गया है । तहसीलदार कामां की द्वारा स्वयं मौका देखकर रिपोर्ट की गयी जिसमें वादी का कब्जा [illegible] दिशा की तरफ ही है । बयनामा में प्रतिवादी नं0 2 का कब्जा उत्तर दिशा में [illegible] गया है बयनामा में दिखाया गया कब्जा का सही आधार नहीं माना जा सकता है [illegible] राज्य सरकार की आय का साधन है न कोई अधिकृत कब्जा माना जा सकता है । तहसीलदार कामां द्वारा तैयार किये गये कुर्रे रिपोर्ट को सही माना जा कर तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कामां द्वारा तैयार किये कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार विभाजन निम्न प्रकार किये जाते है।

आराजी खसरा नम्बर 816/0.38 वाके ग्राम वि[illegible]र में से

1- हरिराम पुत्र रामचन्द कौम जाटव सा0 विरा[illegible] राहिन अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कामां मुर्त0 खसरा नम्बर 816 रकवा 0.19 लगान 2.06

2- [illegible] पुत्र ज्वालादास कौम जाट साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 1654/816 रकवा 0.05 लगान 0.54

3- नूरजहां पत्नि गोरधन कौम मेव साकिन देह खातेदार 1655/816 रकवा 0.05 लगान 0.54

4- [illegible] पुत्र टैनी कौम मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/12 सद्दीक शब्बीर,मुबीन पि0 [illegible] बहिस्सा 1/12 हि0 जुहरखां, रतीखां शादी पिसरान चांदमल बहिस्सा बराबर 1/2 हि0 कौम मेव सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1656/816 रकया 0.09 लगान 0.96

जुहरखां पुत्र चांदमल फौत हो चुका है । जि[illegible]के वारिसान निम्न प्रकार से है । [illegible]खां, अकबर पिसरान जुहरखां अकबरी, नेह[illegible]मा, आलिया उनीसा मनीसा पुत्रीयान जुहरखां कौम मेव साकिन देह खातेदार रत्तीखां पुत्र चांदमल फौत हो चुका है । जिसके वारिसान इस प्रकार से है फजरू, शाबिर, मुब्बा पि0 रत्तीखां रहीशा , [illegible] पुत्रीयान रतीखां कौम मेव सा0 देह खातेदार श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर व इस न्यायालय

के स्थगन के कारण फौत खातेदार की विरासत का दाखिला खारिज नहीं हो सका नजरी नक्शा पेश किया है । जिसके अनुसार उत्तर दिशा में आ0ख0नं0 816 रकवा 0.19 इल्लन पुत्र रामचन्द कौम जाटव सा0 विरार राहिन अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कामां मुर्त0 नं0 2 भरतराम पुत्र ज्वालादास कौम जाट साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 1654/816 रकवा 0.05 लगान 0.54 नं0 3 नूरजहां पत्नि गोरधन कौम मेव साकिन देह खातेदार 1655/816 रकवा 0.05 लगान 0.54 को तथा नं0 4 शेष रकवा पर घन्टोली पुत्र टैनी कौम मेव सा0 देह खातेदार हि0 1/12 सद्दीक शब्बीर,मुवीन पि0 सुबराती बहिस्सा 1/12 हि0 जुहरखां, रतीखां शादी पिसरान चांदमल बहिस्सा बराबर 1/12 हि0 कौम मेव सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1656/816 रकवा 0.09 लगान 0.96 को दिया जाता है । इसी प्रकार डिकी परचा तैयार किया जावे है । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगें । बाद तकमील तामील पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगनलाल मीणा)
सहायक कलक्टर
एवंउपखण्ड अधिकारी
कामां भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0